न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2013

अपीलान्ट

1 पुरा पुत्र देवसी
2 वगता पुत्र देवसी
3 परखा पुत्र देवसी तमाम जातियान कलबी निवासी काछेला तहसील सांचोर हाल चितलवाना जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 खाना पुत्र दरगा जाति कलबी निवासी काछेला तहसील सांचोर जिला जालोर
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सांचोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/98 बअनवान खाना बनाम पुरा वगैरा में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.02.2001 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 22.04.2002 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद प्रस्तुत कर सह खातेदारी भूमि के विभाजन का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में अपीलाण्ट्स की पर्याप्त तामील ही नहीं हुई तथा वादी के अधिवक्ता द्वारा ही प्रतिवादी की ओर से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 3 की ओर से जवाबदावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प जालोर

प्रस्तुत ही नहीं हुआ, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार तनकीयात कायम की जानी थी, जो नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में जो गवाह प्रस्तुत किए, वे गवाह वादी के वाद की ताईद नहीं करते है। साक्ष्य पी0डब्ल्यू0 2 अनपढ व्यक्ति है, जिसने अपने बयानों में खसरा नम्बरों का उल्लेख किया है, जो सम्भव नहीं है। वादी की प्लीडिंग, बयान एवं फर्द विभाजन में काफि विरोधाभाष है। खसरा नम्बर 286 का कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर है, किन्तु बंटवाडा में प्रत्येक पक्ष को 0.65 हैक्टेयर दिया गया है, जो गलत है। विभाजन के प्रकरण में प्रत्येक भूमि में जाने के लिए रास्ते आदि का प्रावधान दर्शित किया जाना आज्ञापक था, किन्तु हस्तगत प्रकरण में बिना रास्ते आदि दर्शित किए, अपीलाण्ट को नुकशान कारित करने की मंशा से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। पटवारी हल्का द्वारा जब मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, उस समय अपीलाण्ट्स को न तोनोटिस दिया गया तथा न ही उन्हे बुलाया गया, मनमाने तौर पर पक्षकारान की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की है, जो गलत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 286 के लगते रास्ते पर आने जाने से रोकने पर अपीलाण्ट को उक्त वाद एवं जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई, जिस पर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जिसे अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि मौजा काछेला में आई हुई स्थित थी। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, किन्तु मौके पर विभाजित थी एवं सभी खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त थे। उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विभाजन कराने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट्स ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया। इसके कारण विधि अनुसार तनकीयात की आवश्यकता नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, उसमें अपीलाण्ट्स की उपस्थिति अंकित है। इसके बावजूद अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की तथा आपसी सहमति से अन्तिम डिक्री पारित करवाई। अपीलाण्ट द्वारा 11 वर्षो के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो स्पष्टतया म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट्स की अपील खारिज करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प जालोर

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी सह खातेदारी भूमि मौजा काछेला के खरसा नम्बर 185, 215, 286, 288, 289, 290, 281/716, 220/716 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 11.41 हैक्टेयर की भूमि में अपने 1/2 हिस्से की भूमि का विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा अपीलाण्ट संख्या 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया। इसके पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट संख्या 3 के जवाबदावा का अवसर बन्द किया जाकर साक्ष्य ली गई एवं उसके पश्चात प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की। प्राथमिक डिक्री की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, उसकी मौका फर्द पर अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के अंगुष्ठ निशान मौजूद है, जो मौके पर उनकी उपस्थिति प्रमाणित करता है। इसके पश्चात प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने एवं पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने के कारण अन्तिम डिक्री पारित की गई। चूंकि जैर अपील निर्णय पारित होने से 11 वर्ष पश्चात अपीलाण्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, इसलिए म्याद के बिन्दु पर अपील को देखा जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में ऐसा कोई उचित कारण दर्शित नहीं किया, जो देरी को कण्डोन करने में सहायक सिद्ध होता हो। आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प जालोर

प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18 सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त न्याय सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया गया है, जिससे देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण अपीलाण्ट्स की अपील परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत सारहीन होने से खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स की अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/98 बअनवान खाना बनाम पुरा वगैरा में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.02.2001 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 22.04.2002 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प जालोर